भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *74
04.02.2026 को उत्तर देने के लिए

जीडीपी डेटा की गुणवत्ता

*74. श्री आनंद भदौरियाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों सहित विभिन्न आंकड़े जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद के जारी किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता को ग्रेड 'ख' से घटाकर ग्रेड 'ग' श्रेणी का कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इसके लिए बताए गए कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जारी किए गए राष्ट्रीय आंकड़ों की शुद्धता और शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

जीडीपी डेटा की गुणवत्ता के संबंध में श्री आनंद भदौरिया द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2026 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *74 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क): जी हाँ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अग्रिम रिलीज कैलेंडर (एआरसी) के अनुसार राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का पहला अग्रिम अनुमान (एफएई) दिनांक 7 जनवरी, 2026 और वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही (क्यू 2) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तिमाही अनुमान दिनांक 28 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था।

(ख) और (ग): आईएमएफ ने वर्ष 2024 से अनुच्छेद IV परामर्श के तहत अर्थव्यवस्थाओं की अपनी वार्षिक समीक्षा में डेटा एडिक्वेसी असेसमेंट फ्रेमवर्क शामिल किया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य जीडीपी के संकलन में कवरेज, बारीकी और बारंबारता तथा समयबद्धता से संबंधित पहलुओं की समीक्षा करना है। मूल्यांकन के दोनों वर्षों अर्थात 2024 और 2025 में, आईएमएफ ने पुराने आधार वर्ष 2011-12 के कारण जीडीपी को 'सी' श्रेणी के तहत रखा है।तथापि, मंत्रालय ने आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 अपडेट करने का निर्णय लिया है।

(घ): राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का संकलन राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) 2008 के अनुसार संभव सीमा तक संकलित किया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा अनुमोदित संस्तुतियों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी वर्ष 2001 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड (एसडीडीएस) मानदंडों का पालन करता है। एसडीडीएस मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि आंकड़े इसके चार प्रमुख पहलुओं यथा कवरेज, आवधिकता, समयबद्धता; जनता की पहुंच; प्रसारित डेटा की समेकता और प्रसारित डेटा की गुणवत्ता का अनुपालन करें। इसके अतिरिक्त, संकलन रूपरेखा को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति के अंतर्गत अंतिम रूप दिया जाता है, जिसमें शैक्षणिक, केन्द्र और राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक आदि के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

****